एक करोड़ की फिरौती के लिये हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार

वारदात का मास्टमाइंड मृतक हनुमान मीणा का बचपन का दोस्त ही निकला

सांगानेर थाना पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गुरूवार को गिरफ्तार किया है।

- मुंह पर टेप ज्यादा लगाने की वजह से हनुमान मीणा की मौत हो गई
- पुलिस ने गुरूवार को द्रव्यवती नदी से मृतक का शव बरामद किया

जयपुर, (का.सं.)। राजधानी की सांगानेर थाना पुलिस ने एक करोड़ की फिरौती के लिये हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस वारदात का मास्टर माइंड मृतक का बचपन का वकील दोस्त निकला। उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर फिरौती के लिये उसका अपहरण किया था, लेकिन मुंह पर टेप ज्यादा लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने गुरूवार सुबह द्रव्यवती नदी से मृतक का शव बरामद कर लिया है।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद विश्नोई ने बताया कि सांगानेर थाना पुलिस ने अपहरण व हत्या की वारदात करने वाले सांगानेर निवासी बृजभान सिंह चौहान, योगेंद्र सिंह चौहान और दिवाकर टांक को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने मृतक हनुमान मीणा को कॉफी पीने के बहाने एक फ्लैट पर बुलाया था। इसके बाद उन लोगों ने फिरौती के लिये उसका अपहरण किया। इस दौरान मुंह पर टेप ज्यादा लगाने की वजह से हनुमान की मौत हो गई। आरोपितों ने पुलिस से बचने के लिए उसके शव को द्रव्यवती नदी में फेंक दिया था। जहां से आज उसे बरामद कर लिया गया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था।

इस संबंध में 22 मई को परिवादी जगदीश मीणा ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका बेटा हनुमान मीणा घर से निकला था, जो वापस नहीं लौटा। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इसके बाद 23 मई को जगदीश मीणा के बेटे के व्हाट्सएप नंबर से वीडिया कॉल आया था। जिसमें उसे बंधक बनाने का वीडियो दिखाया गया। आरोपियो ने इस दौरान एक करोड़ की फिरौती की मांग की। पुलिस ने इसके बाद अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि हनुमान मीणा का अपहरण उसके बचपन के दोस्त दिवाकर टांक ने अपने भाई योगेंद्र सिंह और बृजभान सिंह के साथ मिलकर किया था। इस दौरान मुंह पर ज्यादा टेप लगे होने से हनुमान की मौत हो गईं। ऐसे में आरोपितों ने शव को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर 5-6 किलो वजनी लोहे के बांट के साथ द्रव्यवती नदी में फेंक दिया था। आरोपितों दिवाकर टांक पेशे से अधिवक्ता है और उसका मृतक के घर आना-जाना था। हनुमान सरस डेयरी में कम्प्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। दिवाकर को पता था कि हनुमान पैसे वाला था। दिवाकर टांक व योगेन्द्र दोस्त थे। योगेन्द्र का बड़ा भाई बृजभान भी दिवाकर का जानकार था। दिवाकर ने योगेन्द्र व बृजभान को बताया था कि हनुमान का अपहरण कर मोटी रकम ऐंठी जा सकती है। इस पर योंगेन्द्र ने हनुमान के घर के पास सन स्क्वायर अपार्टमेंट में फ्लैट नम्बर 509 को साढ़े 13 हजार रुपये में किराये पर लिया। 22 मई को सुबह हनुमान से योगेन्द्र ने संपर्क कर मिलने के लिये कहा। योगेन्द्र से मिलने के लिये हनुमान सुबह सन स्क्वायर अपार्टमेंट आ गया। योगेन्द्र उसे बातों में उलझाकर चीलगाड़ी रेस्टोरेंट के पास अपने फ्लैट में ले गया, जहां बृजभान और दिवाकर पहले से मौजूद थे। तीनों ने पहले हनुमान को कॉफी पिलाई, फिर योगेन्द्र ने उसका मुंह बंद कर दिया। तीनों ने मिलकर उसके मुंह पर टेप लगाई इसके बाद उसके तड़पते हुए का वीडियो भी बनाया। इसी दौरान हनुमान की मौत हो गई।

जिंदगी की लड़ाई हारने के बाद तीन लोगों को जीवनदान दे गई कविता

कविता यादव

- परिजनों ने ब्रेनडेड होने के बाद सीकर के सवाईपुरा पलसाना रेवासा की रहने वाली कविता यादव के अंगदान किए
- दो किडनी एसएमएस अस्पताल में और हार्ट दिल्ली के आर्मी हॉस्पीटल में प्रत्यारोपित किया गया
- 21 मई को वह घर पर ही कार्य करते समय बेहोश होकर गिर पड़ी थी।

जयपुर। सीकर जिले के सवाईपुरा पलसाना रेवासा की रहने वाली कविता यादव देवदूत बन गई। अस्पताल में वह भले जिंदगी की जंग हार गई लेकिन तीन लोगों को नया जीवनदान देकर चली गई। चिकित्सकों के अनुसार सवाई मानसिंह अस्पताल में दो किडनियों का सफल ट्रांसप्लांट कर दो लोगों की जान बचाई गई। उसके हार्ट को ग्रीन कोरिडोर बनाकर दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे एक मरीज के प्रत्यारोपित किया गया।

कविता यादव एनएम के तौर पर सीकर में ही कार्यरत थी। 21 मई को वह घर पर ही कार्य करते समय बेहोश होकर गिर पड़ी थी। परिजन उसे सीकर के ही एसके अस्पताल में लेकर गए। वहां उसे पहले जयपुर के मनीपाल अस्पताल में लाया गया। इसके बाद सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इसके बाद चिकित्सकों ने उसके परिजनों से कविता के अंगदान की समझाइश की तो, वे मान गए। फिर उसके हार्ट को दिल्ली के आर्मी हॉस्पीटल भेजा गया। वहीं दोनों किडनी एसएमएस अस्पताल में ही प्रत्यारोपित की गई।

किडनी प्रत्यारोपित करने के लिए यूरोलोजी विभाग की दो टीम ने एक साथ काम किया। इसमें डॉ. शिवम प्रियदर्शी, डॉ. नचिकेत व्यास, डॉ. नीरज अग्रवाल व एनेस्थेसिया विभाग से डॉ. वर्षा कोठारी तथा डॉ.इंदु वर्मा का सहयोग रहा। वहीं इस प्रोग्राम में सोटो टीम के मेंबर्स डॉ. सुधीर भंडारी, डॉ. अमरजीत मेहता, डॉ. मनीष शर्मा, डॉ. अजीत सिंह वी रोशन बहादुर का विशेष योगदान रहा।

चिकित्सकों ने बताया कि कविता के हार्ट को दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल के मरीज को प्रत्यारोपित किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली से एयरफोर्स के विशेष विमान से आर्मी अस्पताल के चिकित्सकों की टीम आयी थी। हार्ट को ग्रीन कोरिडोर बनाकर एसएमएस अस्पताल से एयरपोर्ट भेजा गया। वहां से एयरफोर्स के विशेष विमान से उसे दिल्ली ले जाया गया।

कांग्रेस के जंगलराज में शांतिप्रिय राजस्थान अपराधों की पनाहस्थली बना : राजेन्द्र राठौड़

'मुख्यमंत्री के कमजोर नेतृत्व के कारण ही पुलिस को अपराधियों के समक्ष घुटने टेकने पड़ रहे हैं'

- 'जोधपुर में अवैध बजरी के डंपर का पीछा करने पर बजरी माफियाओं द्वारा एसीपी को पहले जान से मारने की धमकी देना और फिर जानलेवा हमला करने की घटना बजरी माफियाओं के बुलंद हौंसलों को दर्शाता है'

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में अवैध बजरी के डंपर का पीछा करने पर बजरी माफियाओं द्वारा एसीपी को पहले जान से मारने की धमकी देना और फिर जानलेवा हमला करने की घटना बजरी माफियाओं के बुलंद हौंसलों को दर्शाता है। लाचार पुलिस प्रशासन की सुस्ती का आलम यह है कि अभी तक आरोपी उनकी गिरफ्त से कोसों दूर हैं।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के जंगलराज में शांतिप्रिय राजस्थान अपराधों की पनाहस्थली बन गया है जिसमें जोधपुर जिला जहां से मुख्यमंत्रीजी स्वयं आते हैं वहां अपराधी इस कदर बैखोफ हैं कि वह सरेराह पुलिस को धमकी दे रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं और पुलिस उनसे लड़ने की बजाय भयक्रांत है। राज्य में अब खाकी भी सुरक्षित नहीं है और खाकी को ही सुरक्षा की दरकार है।

राठौड़ ने कहा कि जोधपुर में विगत 2 माह में पुलिस पर यह तीसरा हमला है। जब मुख्यमंत्रीजी जो गृह विभाग के भी मुखिया है उनके क्षेत्र में ही बजरी माफियाओं का आतंक लगातार खाकी को चुनौती देकर जानलेवा हमला कर रहा है तो अन्य जिलों की क्या स्थिति होगी, यह अत्यन्त चिंतनीय है। वास्तविकता यही है कि मुख्यमंत्रीजी के कमजोर नेतृत्व के कारण ही पुलिस को अपराधियों के समक्ष घुटने टेकने पड़ रहे हैं।

राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में एक और भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई राहत कैंप आफत बने हुए हैं वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़कर मुख्यमंत्री कैंपों का राजनीतिकरण कर खुद की ब्रांडिंग में लगे हुए हैं। जोधपुर में बजरी माफिया के दुस्साहस से एक दिन पूर्व ही जोधपुर मैं दिनदहाड़े क्रेशर व्यापारी की हत्या कर दी गई वहीं भरतपुर के कामां में भगवान परशुरामजी की शोभायात्रा पर पथराव कर सांप्रदायिक तनाव बिगाड़ा गया।

राठौड़ ने कहा कि पुलिस पर जब इस प्रकार से हमले होते रहे तो यह स्थिति ना तो पुलिस प्रशासन के लिए उचित है और ना ही आमजन के लिए। पुलिस पर हमले से पुलिसकर्मियों का भी मनोबल गिर रहा है और दहशतगर्दी के साये में जीने को मजबूर आमजन और ज्यादा स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है।

प्रदेश में 9 नए करोना संक्रमित मिले

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में गुरूवार को करोना संक्रमण के 9 नए मामले मिले हैं। वहीं 22 मरीज रिकवर हुए हैं। हालांकि इस बीच राज्य में इस बीमारी से एक संक्रमित की मौत हो गई है।

प्रदेश में गुरूवार को पांच जिलों में 9 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले बुधवार को इनकी संख्या 11 रही थी। राज्य में आज सबसे ज्यादा 3 नए संक्रमित उदयपुर में मिले हैं। इसके अलावा अजमेर व जोधपुर में 2-2 तथा जयपुर और पाली में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 2968 कोविड जांच की गई है। प्रदेश में गुरूवार को 22 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 85 रह गए हैं। इनमें 22 मामले जयपुर में बचे हैं। इसके अलावा उदयपुर में 17 और बीकानेर में 12 लोगों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से टोंक में एक संक्रमित की मौत हो गई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9733 लोगों की मौत हो चुकी है।

12वीं कला वर्ग का परिणाम 92.35 फीसदी रहा

जयपुर, (का.सं.)। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गुरुवार को शिक्षा संकुल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के कला संवर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम जारी किया। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त डॉ. मोहन लाल यादव, बोर्ड के प्रशासक और संभागीय आयुक्त, अजमेर सीआर मीना तथा बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी के अलावा अन्य सम्बंधित अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे।

शिक्षा मंत्री डॉ. कल्ला ने बताया कि सीनियर सैकेण्डरी कला संवर्ग का कुल परिणाम 92.35 प्रतिशत रहा है, इसमें लड़कियों का परिणाम 94.06 प्रतिशत और लड़कों का 90.65 प्रतिशत रहा है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम 84.61 प्रतिशत रहा है, इसमें लड़कियों का परिणाम 88.60 प्रतिशत और लड़कों का 80.23 प्रतिशत रहा है।

डॉ. कल्ला ने परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थी अपने कॅरिअर में कामयाबी की बुलंदियों को छूने के लिए सदैव माता, पिता और गुरु की त्रिवेणी इनका सम्मान करते हुए इनसे आशीर्वाद लें। साथ ही कॅरिअर में आगे बढ़ने के लिए वीडियो गेम्स और मोबाईल एप्स से दूर रहते हुए अधिक से अधिक किताबों की संगत करने का संकल्प लें। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि परीक्षा परिणाम में लड़कों की तुलना में लड़कियों का श्रेष्ठ प्रदर्शन यह बता रहा है कि लड़कियों ने एक बार फिर क्षमताओं को साबित किया है।

चाकसू नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव रद्द करने वाले आदेश पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम के गत बीस अप्रैल के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें अदालत ने चाकसू नगर पालिका चेयरमैन कमलेश कुमार बैरवा के चुनाव को रद्द कर दिया था। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश कमलेश कुमार बैरवा की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि चाकसू नगर पालिका में चुनाव से पहले अपीलार्थी ने निर्माण कार्य पूरा कर दिया था और पालिका ने उसे एनओसी भी जारी कर दी थी। वहीं जिला न्यायालय की ओर से उसके चुनाव को रद्द करने के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने गत 11 मई को आदेश जारी कर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। अपील में यह भी कहा गया कि निचली अदालत में चुनाव याचिका पेश करने वाला व्यक्ति के चार संतान है और वह स्वयं ही चुनाव लडने के लिए अयोग्य है। इसके अलावा अपील के निस्तारण में लंबा समय लगेगा। इसलिए उसके निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपील के निस्तारण तक निचली अदालत के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है।

मानसरोवर से मान्यावास रोड निर्माण के आदेश पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकलपीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें एकलपीठ ने मानसरोवर से मान्यावास जाने वाली सौ फीट चौडी रोड का निर्माण तीन माह में करने को कहा था। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश पूरणमल सैनी व अन्य की अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में कहा गया कि मास्टर प्लान में बदलाव कर सडक की चौडाई को कम नहीं किया जा सकता और किसी को फायदा पहुंचाने के लिए रोड का अलाइनमेंट भी नहीं बदला जा सकता।

प्रधानमंत्री मोदी की सभा के लिए लोगों को दिया निमंत्रण

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकल्याण को समर्पित नौ वर्ष पूर्ण होने पर अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में आयोजित होने वाली आम सभा की तैयारियों को लेकर भाजपा ने तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली है। शहर को चप्पे-चप्पे पर भाजपा के झंडे और बैनर से सजाया जा रहा है।

प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता तैयारियों में जुट गए हैं, कायड़ विश्राम स्थली के सभास्थल पर पंडाल, आर्डिनेशन के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के संपर्क मे राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला पदाधिकरी व आम कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे।

नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अजमेर व इसके समीपवर्ती सभी जिलों के लगातार प्रवास पर है। बैठकों के माध्यम से आम सभा में होने वाली व्यवस्थाओं व अधिकाधिक संख्या में आमजन को आम सभा से जोड़ने के लिए वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने केकड़ी की बैठक में कार्यकर्ताओं व आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के इस कुशासन से प्रदेश की जनता त्रस्त है, अब राजस्थान की जनता इस कांग्रेस से राहत चाहती है। कांग्रेस का यह राहत शिविर एक ढकोसला मात्र है, जिस कांग्रेस को साढ़े चार साल तक राजस्थान की जनता याद नहीं आई, वह कांग्रेस अब चुनाव से पहले जनता को झूठी घोषणाएं कर खुश करने की कोशिश मे जुटी है, लेकिन राजस्थान की जनता कांग्रेस के झूठे वादों में नहीं आकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी।

बैठक में ओंकार सिंह लखावत, देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, महेंद्र सिंह मंझेवला, शत्रुघ्न गौतम, राजेंद्र विनायका, मिथिलेश गौतम, होनार सिंह राठौड़, गोपाल धोबी, रायचंद बागड़ी सहित अनेक कार्यकर्ता व आमजन उपस्थित रहे।

भाजपा संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर,नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड, ने अजमेर पेराफेरी क्षेत्र के लगभग 70 गांवों के कार्यकर्ताओं की बैठक में चंद्रशेखर ने कहा अजमेर फेराफेरी क्षेत्र से लाखों की संख्या मे आमजन अपने निजी साधनो के माध्यम से सभा स्थल तक पहुंचेंगे। हर घर से व्यक्ति मोदी की सभा में पहुंचने का आव्हान किया। पेराफेरी क्षेत्र के गांव के लिए प्रमुख नियुक्त किये बैठक में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, ओंकार सिंह लखावत, देवी शंकर भूतड़ा, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, प्रभारी वीरम देव सिंह, सरिता गेना, हरिराम बाना, पूर्व देहात अध्यक्ष भगवती प्रसाद सारस्वत, महामंत्री जीतमल प्रजापत, शक्ति सिंह रावत, महेंद्र सिंह मेझवला हरिराम बाना, जिलाध्यक्ष सरपंच संघ अजमेर, जिला सदस्य, प्रधान, सरपंच, सदस्य, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

खोया पाया

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या 7453 जारी दिनांक 16 अप्रेल 1986 कही गुम हो गया है जो इस समय किसी भी फर्म पर योग्य व्यक्ति के रूप में दर्ज नहीं है मिलने पर सूचित करें सुदर्शन टांक, 447, हवामहल बाजार, जयपुर-9414578896

द्वितीय पुण्यतिथि

दिल में दर्द बड़ा होता है जब आप की याद आती है। हम कर कुछ नहीं पाते हैं बस आंखें भर आती हैं।।

स्वर्गवास-26.05.2021

स्व. श्रीमती ललिता देवी खंडेलवाल

(धर्मपत्नी स्व. श्री ललित खंडेलवाल)

पुत्रवधु स्व. श्री बनवारीलाल जी-स्व. श्रीमती नर्बदा देवी खंडेलवाल वैद (बाय वाले)

आपकी द्वितीय पुण्यतिथि पर हम सभी आपको अश्रुपूरित भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्रद्धावन-अशोक-रेनु, विनोद-संतोष, राजेन्द्र-रेखा, मुकेश-बंटी (देवर-देवरानी), अमित-विनिता, विनीत-रूचि (पुत्र-पुत्रवधू), बेबी-बनवारी जी ठाकुरिया (नन्द-नन्दोई), रितु-आशीष जी रावत (पुत्री-दामाद), राधे, सौम्य (पौत्र), नंदिनी, तनवी (पौत्री), माधव, नक्ष (दोहिता) एवं समस्त वेद परिवार बायवाले। 9602954977 फर्म- खंडेलवाल एन्टरप्राइजेज, राधे एन्टरप्राइजेज, अमित एन्टरप्राइजेज

तीये की बैठक

हमारी पूजनीया माताजी **श्रीमती हरि देवी** पत्नि स्व. श्री टिल्लूमल आसनानी का स्वर्गवास दिनांक 24.05.2023 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 26.05.2023 शुक्रवार को सायं 5.30 बजे 79 विनायक एन्क्लेव Opposite SRN स्कूल महल रोड, जगतपुरा जयपुर पर होगी।

शोकाकुल-राजेश-अमीता (पुत्र-पुत्रवधू), मीरा, पूनम (पुत्रवधू), कोशी गैलानी, पुष्पा-मोहनदास सैनानी, निशा-विक्की, कोमल-राजेश हेमलानी (पुत्री-दामाद), प्रकाश-लविशा (पौत्र-पौत्रवधू), बंटी, मनोज, दक्ष, पार्थ (पौत्र) एवं समस्त आसनानी परिवार। (यह अन्तिम बैठक होगी)।

9784898490, 9636294289

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना

मिन अभिभाष्यगण विमला सोनी पत्नी सुंदरलाल सोनी एवं सुंदरलाल सोनी पुत्र स्व. श्री हरलाल सोनी निवासी मकान नंबर-90, विश्वेसरैया विस्तार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर के द्वारा अपने पुत्र अजय कुमार सोनी को पूर्व में ही अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्तियों से बेदखल किया जा चुका है। अजय कुमार सोनी के किसी भी संव्यवहार, लेनदेन, ऋण आदि के लिए मिन अभिभाष्यगण उत्तरदायी नहीं है। किसी भी व्यक्ति, राष्ट्रीयकृत एवं गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, फाइनेंस कम्पनी, सरकारी निकाय द्वारा वसूली कार्यवाही हेतु मिन अभिभाष्यगण उत्तरदायी व जिम्मेदार नही है। यदि कोई वसूली कार्यवाही की जाती है तो मिन अभिभाष्यगण उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेंगे।

भवदीय

(रोहित कुमार गर्ग) एडवोकेट 9462180879

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री महाराम यादव पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण यादव एवं श्रीमती बिमला देवी पत्नि श्री महाराम यादव, निवासियान-प्लाट नम्बर 8, जय गणेश नगर-2, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर का पुत्र नरेश कुमार यादव एवं पुत्रवधु श्रीमती पुष्पा देवी उनके कहने-सुनने में नहीं है, तथा उनके साथ लड़ाई-झगडा करते तथा कोई सेवा-सुश्रुषा नहीं करते है तथा मेरे अभिभाष्यगण को बुरी तरह मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित करते है तथा उनका चाल-चलन भी मेरे अभिभाष्यगण के प्रति ठीक प्रकार का नहीं है, इसलिए मेरे अभिभाष्यगण अपने पुत्र नरेश कुमार यादव व पुत्रवधु श्रीमती पुष्पा देवी को तुरन्त प्रभाव से अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों से बेदखल करता है। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था मेरे अभिभाष्य के उक्त पुत्र व पुत्रवधु से किसी प्रकार का संव्यवहार, लेन-देन इत्यादि करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। सनद रहे।

(गुलाब चन्द सैनी) एडवोकेट, मो.8769060351

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला रफीका बानो पत्नी मोहम्मद साजिद खान निवासी-7, मौहल्ला डाकौतान, चार दरवाजा बाहर, जयपुर का पुत्र अब्दुल जाहिद खान आयु 28 वर्ष उनके कहे में नहीं है और वह पिछले कुछ वर्षों से अपनी मर्जी मुताबिक जिन्दगी जी रहा है, वह आए दिन मेरी मुवक्किला व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली गलोच व झगडा करता है जिस कारण मेरी मुवक्किला ने अपने उक्त पुत्र अब्दुल जाहिद खान को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से एवं अपने परिवार से बेदखल कर दिया है जो कोई व्यक्ति अब्दुल जाहिद खान से किसी भी तरह का संव्यवहार करेगा उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा कृपया सूचित रहे।

दिनांक- (फारूक अहमद) एडवोकेट, मो.9829277089

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मकान नम्बर 4/205, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जिसको मेरे अभिभाष्या शशि प्रभा भटनागर धर्मपत्नि स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश भटनागर ने अनिल कुमार वाघवानी एवं विशाखा वाघवानी को विक्रय करने का इकरार किया है, यदि उक्त मकान के विक्रय/हस्तान्तरण इत्यादि के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों, संस्था, कम्पनी इत्यादि को किसी भी प्रकार की आपत्ति, आक्षेप इत्यादि हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिन (सात दिन) की अवधि में मुझे सूचित करें, अन्यथा बाद मियाद आपत्ति अमान्य मानी जावेगी।

दिनांक-25.05.2023 शिशांक टिक्कीवाल

स्थान-जयपुर एडवोकेट, मो.9166400777

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मेरी अभिभाष्या रजिया बेगम पत्नी श्री वाहिद खान, उम्र-62 वर्ष, निवासी म.नं. 10, मौहल्ला टिक्की गीरान, बास बदनपुरा, जयपुर (राज.) ने अपने पुत्र जाकिर खान, उम्र-42 वर्ष, को अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है मेरी अभिभाष्या का पुत्र उसके कहने में नहीं है तथा उसका व्यवहार ठीक नहीं है तथा आये दिन लड़ाई झगड़ा करके घर की शांति भंग कर देता है। यदि कोई व्यक्ति इससे किसी भी प्रकार का संव्यवहार करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। उसमें मेरी अभिभाष्या की कोई जवाबदेही नहीं है।

जयपुर (नईमुद्दीन) एडवोकेट

दिनांक-25.05.2023 मो.9352442148

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम वीना रानी जैन से बदलकर वीना जैन रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। प्लाट नम्बर बी-26, लक्ष्मी नारायणपुरी, सूरजपोल गेट, जयपुर

मैंने अपना नाम अनिता कुमारी चौहान व अनिता शेखावत से बदलकर अनिता सिंह शेखावत रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे अनिता सिंह शेखावत के नाम से जाना जावें। पता-113, गायत्री नगर-बी, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान-302018

I Vijay Sogani S/o, Mohan Lal Sogani Residing at 741, Shanti Nagar, Road No. 2, Gopalpura, Jaipur (Raj.) 302018. Do hereby Solemnly affirm and State that I have changed my name from Vijay Kumar Sogani to Vijay Sogani. In future I will be known by my changed name.

I Ritu Jain W/o Vijay Sogani Residing At 741, Shanti Nagar, Road No. 2, Gopalpura, Jaipur (Raj.). Do hereby Solemnly affirm and State that I have changed my name from Reetu Jain @ Ritu Sogani To Ritu Jain. In Future Will Be Known By My Changed Name.

I service No 7780902-N Rank NK mukesh kumar S/o Deen dayal have changed my wife's DOB (17-07-1984) to (05-07-1983) for all future purpose. R/o Village Khudana, district mahendargarh, Haryana 123029

आम सूचना सर्वसाधारण को मेरे अभिभाष्य नाथूलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री मांगीलाल शर्मा, पूर्व स्थापक/अध्यक्ष संस्कार भारती शिक्षा मिति (पंजीयन सं. 1146/जयपुर/2002-2003) की ओर से सूचित किया जाता है कि मेरे उपभोक्त वर्णित अभिभाष्य है, जो कि 98 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है। विगत कुछ दिवस पूर्व उक्त संस्था के मूल दस्तावेज कार्यालय में नहीं मिलने पर उक्त दस्तावेजों की गुमशुदगी रिपोर्ट दिनांक 24.09.2021 को पुलिस में जरिये संस्था सचिव के दर्ज करवा दी गयी थी और इस बात की सूचना रजिस्ट्रार संस्थाएं को भी दी जा चुकी है। संस्था के पूर्व सदस्य अनिल कुमार पुत्र श्री हरिदेव शर्मा ने मेरे अभिभाष्य की अवस्था व पारिवारिक सम्बन्धों का बेजा इस्तेमाल करते हुए बिना मेरे अभिभाष्य की सहमति व जानकारी के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा कर उक्त संस्था की अवैध तथा फर्जी मीटिंग दर्शा कर संस्था पर कब्जा करने की नियत से फर्जी कार्यकारिणी गठित कर उसमें अपने हितबद्ध व्यक्तियों को सम्मिलित कर तथ्यों को छिपाते हुए अनुमोदन हेतु रजिस्ट्रार संस्थाऐं को ऑन लाईन व हार्डकॉफी प्रस्तुत कर दी। मेरे अभिभाष्य ने संस्था के अध्यक्ष पद के रूप में नियत प्रक्रिया से मीटिंग आहूत की, साधारण सभा द्वारा नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें जीववर्धन शास्त्री को अध्यक्ष, सुधीर कुमार शर्मा को सचिव और प्रमोद को कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। जिसे रजिस्ट्रार संस्थाऐं द्वारा दिनांक 23.4.23 को अनुमोदित कर दिया गया है।

अनिल कुमार पुत्र श्री हरिदेव शर्मा द्वारा संस्था के हितों के विपरीत कार्य करते हुए मेरे अभिभाष्य के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर बैंक ऑफ बडौदा शाखा बगरू में संस्था के खातों को होल्ड करवा दिया और समस्त लेन देन नगद कर वित्तीय अनियमितता भी कारित की है।

मेरे अभिभाष्य को पूर्ण आंशका है कि अनिल कुमार पुत्र श्री हरिदेव शर्मा द्वारा छलपूर्वक मेरे अभिभाष्य के हस्ताक्षर करवा कर अथवा कूटरचना करके अथवा स्वयं के द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्बन्धित सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों, विश्वविद्यालय,आयोग शिक्षा बोर्ड, एनसीटीई, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जेडीए, नगर पालिका, न्यायालय पुलिस, व्यक्ति आदि के साथ पत्र व्यवहार एवं संस्था का गलत तरीके से प्रतिनिधित्व किया है अथवा भविष्य में कर सकते है। अतः मेरे अभिभाष्य द्वारा अनिल कुमार पुत्र श्री हरिदेव शर्मा द्वारा कीगयी किसी भी कार्यवाही या संव्यवहार को पूर्णतया शून्य एवं निरस्त घोषित किया जाता है। मेरे अभिभाष्य या उक्त संस्था अनिल कुमार पुत्र श्री हरिदेव शर्मा के द्वारा की गयी ऐसे किसी भी संव्यवहार या कार्यवाही के प्रति किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगी। सूचित रहे।

आनंद सिंह हाडा, एडवोकेट, मो. 9828545657

आम सूचना यह कि मेरे अभिभाष्य रमन कुमार पुत्र रामनारायण नि0 22 जेम्स विहार, सांगानेर व रामवतार शर्मा पुत्र कैलाश चन्द नि. अचरावाला, सांगानेर के मध्य प्लाट संख्या 31, 32,33 मालपानी विहार, रातल्या, सांगानेर, जयपुर के बाबत निष्पादित इकरारनामा 28.01.2023 निरस्त हो चुका है। इसके आधार पर कोई कार्यवाही नहीं करें। अन्यथा स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

एस.एन. चौधरी, एडवोकेट

मो. 9829713281

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 2410/2023

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी मोहन प्रकाश माथुर पुत्र स्व. भगवान सहाय माथुर, प्रबन्धक (अध्यक्ष) गुंचा ट्रस्ट "यादगारे गुंचा" जाति कायस्थ विवाद स्थान एफ-18, रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

मृतक स्व. भगवान सहाय माथुर की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 04.07.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. भगवान सहाय माथुर पुत्र स्व. राधाबल्लभ माथुर जाति कायस्थ निवासी एफ-18 रमेश मार्ग, सी-स्कीम जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04 माह 07 सन् 2023 को 10.30 ए.एम. न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 23 माह 05 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

प्रार्थी ने मृतक भगवान सहाय माथुर के नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित अचल सम्पत्ति बाबत प्रोबेट प्रमाण पत्र चाहा है।

मोहर अदालत

आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

D/N $\frac{388}{10.05.23}$ (आदेश 5 के नियम 1 और 5)

समक्ष अतिरिक्त जिला न्यायाधीश क्रम सं.9 जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरुद्ध

सुश्री दीपेश्वरी बेनीवाल एवं अन्य

वाद बाबत वसूली 9,41233.00 रुपये वाद संख्या 24 सन् 2022

बनाम 1.सुश्री दीपेश्वरी बेनीवाल पुत्री श्री दिनेश बेनीवाल निवासी- मकान संख्या 51/103, नालन्दा मार्ग, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020 एवं अग्रवाल धर्मशाला के पास, हनुमानगढ टाउन, जिला-हनुमानगढ-335513, 2.श्रीमती सुनिता बेनीवाल पत्नी श्री दिनेश बेनीवाल निवासी- मकान संख्या 51/103, नालन्दा मार्ग, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020 एवं अग्रवाल धर्मशाला के पास, हनुमानगढ टाउन, जिला-हनुमानगढ-335513, 3. श्री सुभाष चन्द्र गोयल पुत्र श्री पूरण मल गोयल निवासी- आशीर्वाद केयर ऑफ अरावली फार्मास्टियुटिकल्स प्रा. लि., प्रताप नगर, सैक्टर नं.3, मेन टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर एवं प्लॉट नं. सी-323, रीको हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सीतापुरा, जयपुर

वादी ने आपके विरूद्ध वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 18 माह जुलाई सन् 2023 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद दिनांक 10 माह 05 सन 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया।

सील

आज्ञा से न्यायाधीश रीडर ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम-09, जयपुर महानगर, प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 134/2023

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि वंदना अरविंद यादव, पुत्री स्व. श्री बृज मोहन यादव प्लाट नं. 36/181, किरण पथ मानसरोवर जयपुर-302020 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत स्व. बृज मोहन-रमा रानी याद We are Every one चेरिटेबल ट्रस्ट 36/181 किरण पथ, मानसरोवर जयपुर 302020 प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 31.07.2023

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 143/2023

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्रीमती तारा चौधरी पत्नी श्री विजय चौधरी निवासी 131, आनन्द नगर, खातीपुरा, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत आयाश ट्रस्ट, रूम नं. 1, प्लाट नं. 46, जनक विहार-ए, पांच्यावाला जयपुर-302034 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 04.08.2023

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 133/2023

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि डॉ. कृति सिंह यादव पुत्री श्री जितेन्द्र यादव निवासी 61/78, रजत पथ, हीरा पथ ब्राह्मण पार्क के पास जयपुर 302020 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत स्व. मनीषा यादव मेमोरियल Feeling Full भावों से भरे चेरिटेबल ट्रस्ट 61/78 रजत पथ, हीरा पथ ब्राह्मण पार्क के पास जयपुर 302020 प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 31.07.203

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर